रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12122023-250606
CG-DL-E-12122023-250606

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5084] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 12, 2023/अग्रहायण 21, 1945
No. 5084] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 12, 2023/AGRAHAYANA 21, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2023

का.आ. 5313(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 1259 (अ), तारीख 31 मई, 2012 द्वारा एक अधिसूचना जारी की थी;

और केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना में संशोधन करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है;

और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (4) यह उपबंध करता है कि जब भी केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, तो इसके लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति दी जा सकेगी है;

और केन्द्रीय सरकार की राय से यह अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1259 (अ), तारीख 31 मई, 2012 में संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोकहित में है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना, जो संख्यांक का.आ. 1259 (अ), तारीख 31 मई, 2012 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में-

(i) पैरा 2 में.-

(क) उप-पैरा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपपैरा रखा जाएगा: अर्थात्:-

"(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए, 12.12.2023 से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय लोगों के परामर्श से और इस अधिसूचना के अनुसार एक आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।";

(ख) उप-पैरा (8) में, "और पर्यावरण और वन मंत्रालय के अनुमोदन के दौरान" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) पैरा 4 के, उप-पैरा (2),-

(क) खंड (ख) में, शब्द "पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार" शब्दों के स्थान पर, "राज्य सरकार में राजस्व विभाग" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खंड (ग) में, "भारत सरकार" शब्दों के स्थान पर, "समय-समय पर राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से, प्रत्येक कार्यकाल के लिए तीन वर्ष से अधिक नहीं होगा" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) खंड (छ) में, शब्द "पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार" शब्दों के स्थान पर, "समय-समय पर राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से, प्रत्येक कार्यकाल के लिए तीन वर्ष से अधिक नहीं होगा" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 25/3/2012-ईएसजेड-आरई]

डॉ. एस. करकेट्टा, वैज्ञानिक 'जी'

टिप्पण.-मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 1259 (अ), तारीख 31 मई, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th December, 2023

S.O. 5313(E).—Whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 issued, in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 1259 (E), dated the 31st May, 2012;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification;

And whereas sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 1259 (E), dated the 31st May, 2012;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 1259 (E), dated the 31st May, 2012, namely:-In the said notification,-

(i) in paragraph 2-

(a) for sub-paragraph (1), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

"(1) The State Government shall prepare a Zonal Master Plan, for the purposes of the Eco-Sensitive Zone in consultation with local people and in accordance with this notification within a period of two years from the 12.12.2023.";

(b) in sub-paragraph (8), the words, "and approval thereof by the Ministry of Environment and Forests", shall be omitted;

(ii) in paragraph 4, in sub-paragraph (2),-

(a) in clause (b), for the words "Ministry of Environment and Forests, Government of India", the words "Revenue Department in the State Government", shall be substituted;

(b) in clause (c), for the words "Government of India", the words, "State Government from time to time, for a tenure not exceeding three years each, with the approval of the Central Government", shall be substituted;

(c) in clause (g), for the words "Ministry of Environment and Forests, Government of India", the words, "State Government from time to time, for a tenure not exceeding three years each, with the approval of the Central Government" shall be substituted.

[F. No. 25/3/2012-ESZ/RE]

Dr. S. KERKETTA, Scientist "G"

Note.-The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 1259 (E), dated the 31st May, 2012.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

AMIT KUMAR JAISWAL Digitally signed by AMIT KUMAR JAISWAL Date: 2023.12.12 22:43:25 +05'30'